

851140, 851141, 851187, 851184, 851185
 कुम्भ रकबा 103 बीघा ग्राम जोधपुर विभाजन
 आधिकारण जोधपुर के तहत में है।
 जोधपुर विभाजन आधिकारण की 103 बीघा
 जो एक-एक में है के पश्चात कुम्भ 10 बीघा
 में से शेष रही ग्राम में तरमीम संशोधन
 करने के आदेश बाने हेतु जमीन द्वारा
 निवेदन किया गया। तदुपलक्ष्य वावडी ने
 अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिपोर्ट के साथ
 संलग्न नक्शे नक्शे के अनुसार ख.न. 851184
 851140, 851183, 851185, 851187
 851123 एवं 851170 के अन्तर् विभाजन
 अंश पर कुम्भ 110 बीघा के
 रकबा व हजान में किसी प्रकार का अन्तर्
 नहीं अंशगत तरमीम की सुविधा के पर
 वर्तमान में नक्शे नक्शे में / कुल 110 बीघा
 की तरमीम ABCDEF है जिसमें ABCD तरमीम
 एक-एक में रकबा 103 बीघा की होने के पश्चात
 शेष रही ग्राम CDEF रकबा 7-00 बीघा
 की तरमीम ख.न. 851170 की कार के नक्शे
 को सुदृष्टता उपर होगा।
 हमने पता चला कि आ-आगपूर्वक अवलोकन
 किया। वाप अवलोकन संलग्न दस्तावेज में
 तदुपलक्ष्य वावडी की रिपोर्ट के आधार
 पर जमीन का प्राप्ति पर स्वीकार किया
 जाना उचित प्रतीत होता है।
आदेश
 जमीन का प्राप्ति पर अन्तर्गत द्वारा
 131, 136 अ- शाप एव आधिकारण 1356
 स्वीकार किया जा रहा है तथा ग्राम
 गेहड़ा ख.न. 851170 रकबा 7-00
 बीघा ग्राम की तरमीम दुरुस्त करने
 के आदेश दिने जाते हैं।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

बनाम

नं.

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
आहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

विकास प्राधिकरण जोधपुर की 103-00
कीया ग्रामि की तस्मीन यथावत रहेगी
तस्मीलदार कावडी को आदेश दिया
जा रहा है कि ग्राम नेटडा के व.न.
854470 रकबा 7.00 बीघा की तस्मीन
माजिक संलग्न नजरी नसरो के अनुसार
शाफ्त रेकार्ड में डुरस करे तस्मीलदार
कावडी को पालना तस्मीर जारी हो
संलग्न नजरी नसरो को उस निर्णय
का अतिमिन्तुंका समझा जावे
जवाबती फैसल शुमा (दोकर नम्बर
से कात होकर, दाखल 444) हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

क

36